नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
93/2021	29.09.2021	20.2.2026

ओमप्रकाश पुत्र दुल्लीचंद, कुम्हार निवासी ईट भट्टा अलीगंज रोड, तहसील गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. दुल्लीचंद पुत्र भंवरलाल, कुम्हार निवासी ईट भट्टा, अलीगंज रोड, गंगापुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री भानू कुमार सिंहल, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0न0, 623 रकबा 0.80 है०, ख0न0 628 रकबा 0.01 है०, ख0न0 629 रकबा 0.49 है०, ख०न० 630 रकबा 0.10 है०, ख0न0 631 रकबा 0.55 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.95 है० ग्राम ब्रह्मवाद मे स्थित है। जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा है। भूमि के विभाजन के लिए वादी ने प्रतिवादी से कई बार कहा परन्तु वह विभाजन नही करवा रहा है। जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिनांक 26.9.21 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से भूमि विभाजन करवाने के लिए पुनः कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने मना कर दिया एवं सडक के किनारे की बहुमूल्य भूमि का अंतरण दीगर व्यक्ति के नाम करने की धमकी दी। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर भूमि ख0न0 623 रकबा 0.80 है०, ख0न0 628 रकबा 0.01 है०, ख0न0 629 रकबा 0.49 है०, ख0न0 630 रकबा 0.10 है०, ख0न0 631 रकबा 0.55 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.95 है0 ग्राम ब्रह्मवाद का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मीट्स एंड बाउन्डस के अनुसार विभाजन किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा अलग से दर्ज किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन करवाए हुए बिना भूमि के किसी हिस्सा विशेष को किसी दीगर व्यक्ति को अंतरित नही करे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)